(क) क्या विगत कुछ वर्षों में देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ड्रग्स, स्वापकों, अनाजों तथा उर्वरक आदि सहित विभिन्न मदों की तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के दर्ज किए गए मामलों और पकड़े गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमाओं पर इस तरह की मदों की तस्करी के लिए उत्तरदायी कारकों का आकलन किया गया है; और

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश की सीमाओं पर तस्करी के मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) एवं (ख): विवरण अनुलग्नक ‘क’ एवं ‘ख’ में संलग्न किए गए हैं।**

**(ग) से (घ): कई स्थानों पर भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा अत्यन्त छिद्रिल है और नदी तटीय हिस्से व्याप्त हैं। दोनों की तरफ की अधिकांश सीमावर्ती आबादी निर्धन, बेरोजगार और किसी तरह के आय के स्रोत से रहित है, इसी कारणवश सीमा के ऐसे हिस्से आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं। इसलिए अपनी आजीविका के अर्जन के लिए वे तस्करी की गतिविधियों में लग जाते हैं। ऊपरवर्णित घटक भारत-बांग्लादेश सीमा के लिए विशेष रूप से अच्छे साबित हुए हैं जो अत्यन्त छिद्रिल है, नदी तटीय हिस्सा है और जहाँ ठीक जीरो लाईन तक आबादी है। ये सभी घटक इस सीमा के पास तस्करी की गतिविधियों के लिए अनुकूल हैं।**

 **सरकार ने भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से तस्करों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-**

1. **भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के पास सीमा बाड़, सीमा सड़क, तेज रोशनी और सीमा चौकियों (बी ओ पी) का निर्माण तथा भारत-म्यांमार सीमा के छोटे हिस्से में बाड़ का निर्माण।**
2. **विभिन्न सीमा चौकसी बलों जैसे कि भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बांग्लादेश सीमाओं के पास सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), भारत-चीन सीमा के पास भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी), भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाओं के पास सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) तथा भारत-म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की निरन्तर निगरानी एवं चौकसी। इन सीमा चौकसी बलों को उन्नत सीमा निगरानी के लिए नाइट वीजन डिवाइसेज (एन डी वी), हैण्ड हेल्डथर्मल इमेजर्स (एच एच टी आई) और लाँग रेंज रिकॉनिशेंस एण्ड ऑबजवेर्शन सिस्टम (लोरोस) इत्यादि जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी निगरानी उपकरण भी दिए जाते हैं।**
3. **विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियों के साथ-साथ राज्य पुलिस बलों के बीच उन्नत समन्वय एवं सहयोग।**
4. **सीमा चौकसी बलों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के नदी तटीय हिस्से में जलयानों/नौकाओं तथा तैरने वाली सीमा चौकियों का प्रयोग।**
5. **उन्नत सीमा चौकसी, निगरानी एवं गश्त के लिए सीमा चौकसी बलों की अतिरिक्त बटालियनों का गठन।**

**अनुलग्नक-क**

राज्य सभा अता० प्र० सं० 22**58**

**दिनांक 25 अप्रैल, 2012 का राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2258**

**पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सीमा-पार मादक औषाधियों/स्वापक पदार्थों, खाद्यान्नों तथा उर्वरकों आदि की तस्करी का ब्यौरा**

**1. भारत-बांग्लादेश सीमा**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **मद** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012****(मार्च तक)** |
| **1.** | **मादक औषोधि/स्वाक पदार्थ** | **9549 कि.ग्रा.** | **9292 कि.ग्रा.** | **8598 कि.ग्रा.** | **1215 कि.ग्रा.** |
| **2.** | **खाद्यान्न** | **38004 कि.ग्रा.** | **20226 कि.ग्रा.** | **51885 कि.ग्रा.** | **5855.5 कि.ग्रा.** |
| **3.** | **उर्वरक** | **295095 कि.ग्रा.** | **83938 कि.ग्रा.** | **8477 कि.ग्रा.** | **5283 कि.ग्रा.** |

**2. भारत-पाकिस्तान सीमा**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **मद** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012****(मार्च तक)** |
| **1.** | **मादक औषोधि/स्वाक पदार्थ** | **148 कि.ग्रा.** | **146 कि.ग्रा.** | **75 कि.ग्रा.** | **151 कि.ग्रा.** |
| **2.** | **खाद्यान्न** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **उर्वरक** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**3. भारत-चीन सीमा**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **मद** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012****(मार्च तक)** |
| **1.** | **मादक औषोधि/स्वाक पदार्थ** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.** | **खाद्यान्न** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **उर्वरक** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**4. भारत-नेपाल सीमा**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **मद** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012****(मार्च तक)** |
| **1.** | **मादक औषोधि/स्वाक पदार्थ** | **25294 कि.ग्रा.** | **30715.083 कि.ग्रा.** | **12405.284 कि.ग्रा.** | **2584.49 कि.ग्रा.** |
| **2.** | **खाद्यान्न** | **244561 कि.ग्रा.** | **788939.2 कि.ग्रा.** | **499408 कि.ग्रा.** | **24626 कि.ग्रा.** |
| **3.** | **उर्वरक** | **18330 बैग्स** | **28094 बैग्स** | **13261 बैग्स** | **1840 बैग्स** |

**5. भारत-भूटान सीमा**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **मद** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012****(मार्च तक)** |
| **1.** | **मादक औषोधि/स्वाक पदार्थ** | **1126.365 कि.ग्रा.** | **397.809 कि.ग्रा.** | **710 कि.ग्रा.** | **2 कि.ग्रा.** |
| **2.** | **खाद्यान्न** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3.** | **उर्वरक** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**6. भारत-म्यांमार सीमा**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **मद** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012****(मार्च तक)** |
| **1.** | **मादक औषोधि/स्वाक पदार्थ** | **7747.721 कि.ग्रा.** | **25349.236 कि.ग्रा.** | **11124.148 कि.ग्रा.** | **3221.638 कि.ग्रा.** |
| **2.** | **खाद्यान्न** | **-** | **-** | **190 कि.ग्रा.** | **6500 कि.ग्रा.** |
| **3.** | **उर्वरक** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**---**

 **अनुलग्नक-ख**

राज्य सभा अता० प्र० सं० **2258**

**दिनांक 25 अप्रैल, 2012 का राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2258**

**विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशियों सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सीमा-वार संख्या**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **सीमा** | **गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (विदेशियों सहित)** |
| **2009** | **2010** | **2011** | **2012****(मार्च तक)** |
| **1.** | **भारत-बांग्लादेश सीमा** | **4766** | **3017** | **2514** | **616** |
| **2.** | **भारत-पाकिस्तान सीमा** | **253** | **246** | **187** | **85** |
| **3.** | **भारत-चीन सीमा** | **-** | **13** | **20** | **-** |
| **4.** | **भारत-नेपाल सीमा** | **350** | **1069** | **577** | **72** |
| **5.** | **भारत-भूटान सीमा** | **11** | **06** | **09** | **-** |
| **6.** | **भारत-म्यांमार सीमा** | **73** | **157** | **90** | **55** |